# अध्याय 1

# प्रस्तावना

## अध्याय 1

## प्रस्तावना

### 1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के अधीन 16[1] क्लस्टरों के अंतर्गत 53 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 37 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1*** में वर्णित है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के तीन क्लस्टरों के अंतर्गत कार्यरत सात विभागों, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सात स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है जैसा कि ***परिशिष्ट 2*** में वर्णित है।

तीन क्लस्टरों के अंतर्गत विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची ***तालिका 1.1*** में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.1: तीन क्लस्टरों के अंतर्गत विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण**

| क्र. सं. | क्लस्टर | विभागों की संख्या | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | स्वायत्त निकायों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऊर्जा और विद्युत | 2 | 5 | 1 |
| 2 | उद्योग और वाणिज्य | 2 | 6 | 1 |
| 3 | शहरी विकास | 3 | 6 | 5 |
| | **कुल** | **7** | **17** | **7** |

अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

---

[1] (i) स्वास्थ्य और कल्याण, (ii) शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, (iii) वित्त, (iv) ग्रामीण विकास, (v) कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग, (vi) जल संसाधन, (vii) ऊर्जा और विद्युत, (viii) उद्योग और वाणिज्य, (ix) परिवहन, (x) शहरी विकास, (xi) पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (xii) लोक निर्माण, (xiii) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, (xiv) कानून और व्यवस्था, (xv) संस्कृति और पर्यटन, और (xvi) सामान्य प्रशासन।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2, 3 और 4 में क्रमशः ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के क्लस्टरों से संबंधित सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

तीन क्लस्टरों (ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त, अन्य समूहों/सेक्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से समाविष्ट प्रतिवेदन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

## 1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे ***तालिका 1.2*** में दी गई है।

**तालिका 1.2: 2016-21 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक |
| सामान्य सेवाएं | 21,663 | 21,631 | 24,379 | 26,699 | 29,788 | 28,169 | 35,358 | 31,884 | 37,228 | 34,734 |
| सामाजिक सेवाएं | 29,403 | 25,473 | 31,404 | 28,061 | 34,176 | 29,743 | 36,114 | 33,726 | 43,090 | 36,164 |
| आर्थिक सेवाएं | 23,482 | 20,875 | 23,752 | 18,107 | 20,916 | 19,022 | 22,770 | 19,238 | 25,020 | 19,048 |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 248 | 424 | 401 | 390 | 306 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल (1)** | **74,796** | **68,403** | **79,936** | **73,257** | **85,186** | **77,156** | **94,242** | **84,848** | **1,05,338** | **89,946** |
| पूंजीगत परिव्यय | 8,817 | 6,863 | 11,122 | 13,538 | 15,780 | 15,306 | 16,260 | 17,666 | 13,201 | 5,870 |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 4,729 | 4,515 | 1,326 | 1,395 | 1,766 | 756 | 1,407 | 1,309 | 1,213 | 926 |
| लोक ऋण का भुगतान | 9,677 | 5,276 | 9,945 | 6,339 | 12,466 | 17,184 | 20,257 | 15,776 | 22,592 | 29,498 |
| आकस्मिक निधि | - | 80 | - | 27 | - | 13 | - | - | - | - |
| आकस्मिक निधि में विनियोजन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| लोक लेखा संवितरण | 96,756 | 29,276 | 2,04,107 | 31,171 | 2,32,569 | 37,386 | 1,41,707 | 42,171 | 51,356 | 50,245 |
| अंतिम नकद शेष | - | 5,658 | - | 4,417 | - | 2,985 | - | 3,999 | - | 3,148 |
| **कुल (2)** | **1,19,979** | **51,668** | **2,26,500** | **56,887** | **2,62,581** | **73,630** | **1,79,631** | **80,921** | **88,362** | **90,487** |
| **कुल योग (1+2)** | **1,94,775** | **1,20,071** | **3,06,436** | **1,30,144** | **3,47,767** | **1,50,786** | **2,73,873** | **1,65,769** | **1,93,700** | **1,80,433** |

**स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।**

उपर्युक्त सेवाओं में से 2016-21 के दौरान तीन क्लस्टरों अर्थात ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास के संबंध में बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की स्थिति ***तालिका 1.3*** में दी गई है।

**तालिका 1.3: तीन क्लस्टरों के बजट और वास्तविक व्यय के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक |
| **ऊर्जा और विद्युत** | | | | | | | | | | |
| राजस्व व्यय | 10716.77 | 10514.98 | 10230.3 | 7631.52 | 6586.09 | 7447.42 | 7338.16 | 7015.3 | 6684.51 | 5788.32 |
| पूंजीगत परिव्यय | 1933.51 | 1894.73 | 1525.34 | 5454.44 | 5490.01 | 5500.25 | 5834.19 | 5829.63 | 752.85 | 527.09 |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 4176.42 | 3647.08 | 923.15 | 887.48 | 1274.64 | 52.84 | 285.21 | 160.63 | 115.01 | 56.16 |
| **कुल** | **16826.7** | **16056.79** | **12678.79** | **13973.44** | **13350.74** | **13000.51** | **13457.56** | **13005.56** | **7552.37** | **6371.57** |
| **उद्योग और वाणिज्य** | | | | | | | | | | |
| राजस्व व्यय | 803.78 | 349.80 | 540.29 | 317.7 | 533.5 | 402.78 | 575.34 | 392.19 | 498.35 | 390.6 |
| पूंजीगत परिव्यय | 5.22 | 2.20 | 10.21 | 2.24 | 15.21 | 2.11 | 15.21 | 13.21 | 14.71 | 4.79 |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 425 | 322.00 | 235 | 230 | 270.01 | 413.96 | 870 | 815.64 | 600 | 479.9 |
| **कुल** | **1234** | **674.00** | **785.5** | **549.94** | **818.72** | **818.85** | **1460.55** | **1221.04** | **1113.06** | **875.29** |
| **शहरी विकास** | | | | | | | | | | |
| राजस्व व्यय | 3673.05 | 2782.54 | 3984.96 | 4066.73 | 4362.52 | 2970.12 | 4637.78 | 3339.49 | 5136.22 | 3684.78 |
| पूंजीगत परिव्यय | 132 | 68.2 | 1132 | 1000 | 1300 | 1388.83 | 1468.2 | 979.14 | 1610 | 650.38 |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **3805.05** | **2850.74** | **5116.96** | **5066.73** | **5662.52** | **4358.95** | **6105.98** | **4318.63** | **6746.22** | **4335.16** |
| **कुल योग** | **21865.75** | **19581.53** | **18581.25** | **19590.11** | **19831.98** | **18178.31** | **21024.09** | **18545.23** | **15411.65** | **11582.02** |

**स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।**

## 1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2020-21 के दौरान ₹ 1,93,700 करोड़ के राज्य के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,80,433 करोड़ था। इन तीनों क्लस्टरों का कुल व्यय[2] वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,582 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान तीन क्लस्टरों का कुल व्यय ₹ 19,581.53 करोड़ से 40.85 प्रतिशत घटकर ₹ 11,582.02 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय ₹ 13,647.32 करोड़ से 27.72 प्रतिशत घटकर ₹ 9,863.70 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय 57.95 से 85.16 प्रतिशत जबकि पूंजीगत व्यय 10.04 से 37.91 प्रतिशत के मध्य था।

## 1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जटिलता, प्राप्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

2 राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ संगठन के रूप में 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य 86 इकाइयों में से 10 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19 (1) के अंतर्गत 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा योग्य 85 इकाइयों में से 10 इकाइयों और धारा 19 (2), 19 (3) के अंतर्गत सात स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा योग्य 79 इकाइयों में से 15 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

## 1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नौ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। प्रशासनिक विभागों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

## 1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उनके उच्च प्रबंधन को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

30 सितंबर 2021 तक, विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 962 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 3,332 अनुच्छेद ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों के अंतर्गत लंबित थे, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.4*** में वर्णित है:

**तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | ऊर्जा और विद्युत | | उद्योग और वाणिज्य | | शहरी विकास | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद) | धन मूल्य | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद) | धन मूल्य | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (अनुच्छेद) | धन मूल्य |
| 2014-15 से पहले | 69 (156) | 3,051.29 | 118 (188) | 104.30 | 315 (841) | 9,574.91 |
| 2015-16 | 22 (59) | 1,716.54 | 12 (24) | 119.70 | 43 (195) | 1,431.87 |
| 2016-17 | 30 (73) | 596.98 | 11 (39) | 186.88 | 27 (133) | 32,236.73 |
| 2017-18 | 38 (135) | 1,008.97 | 15 (42) | 121.49 | 52 (272) | 78,338.17 |
| 2018-19 | 40 (182) | 829.77 | 12 (38) | 164.01 | 48 (294) | 1,67,190.75 |
| 2019-20 | 36 (194) | 1,927.22 | 12 (47) | 292.83 | 17 (142) | 767.16 |
| 2020-21 | 15 (115) | 3,091.67 | 9 (53) | 659.32 | 21 (110) | 2,900.28 |
| **कुल** | **250 (914)** | **12,222.44** | **189 (431)** | **1,648.53** | **523 (1987)** | **2,92,439.87** |

**स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।**

सितंबर 2021 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिए गए हैं।

## 1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

### लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में चर्चा

### 1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2018-19

के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल थे और वर्ष 2019-20 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 19 अनुच्छेद शामिल थे, को क्रमशः 5 मार्च 2021 और 22 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ***(परिशिष्ट 4)*** और लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति में अभी चर्चा की जानी शेष थी (मार्च 2022)। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अनुच्छेदों की स्थिति ***तालिका 1.5*** में दी गई है।

**तालिका 1.5: 31 मार्च 2022 तक तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति में चर्चा किए जाने वाले अनुच्छेदों/कृत कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण**

| क्लस्टर | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 2018-2019 | | अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं |
| ऊर्जा और विद्युत | 08 | 01 | 03 | 03 |
| उद्योग और वाणिज्य | 03 | 03 | 02 | 02 |
| शहरी विकास | शून्य | शून्य | 03 | 03 |

### 1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई

24 प्रशासनिक विभागों में ₹ 28,570.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 45 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) बकाया थे, जिनमें कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 5*** में वर्णित है। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में बकाया अनुच्छेदों के वित्तीय प्रभाव का विवरण ***तालिका 1.6*** में दिया गया है।

**तालिका 1.6: 31 मार्च 2021 को तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में बकाया अनुच्छेदों के प्रभाव का विवरण**

| विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की अनुच्छेद संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| **ऊर्जा और विद्युत** | | | |
| - | शून्य | शून्य | शून्य |
| **उद्योग और वाणिज्य** | | | |
| उद्योग और वाणिज्य विभाग | 2017-18 | 3.10 | 145.00 |
| **शहरी विकास** | | | |
| नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा) | 2000-01 | 3.16 | 15,529.00 |
| | 2001-02 | 6.10 | 4,055.00 |
| | 2011-12 | 2.3.10.8 | 16,700.00 |
| | 2013-14 | 2.3.10.6 | 1,266.00 |
| | | 2.3.10.11 | 37,386.00 |
| | | 3.20 | 84.64 |
| | 2015-16 | 3.18 (क) | 41,715.00 |
| | | 3.18 (ख) | 1,077.00 |
| | 2017-18 | 3.17 क | 16,086.00 |
| | | 3.17 ख | 1,972.00 |
| | | 3.18.7 (i) | 11,14,413.00 |
| | | 3.18.7 (ii) | 1,955.00 |
| | | 3.18.10 | 4,678.00 |
| | | 3.18.11 (i) | 342.00 |
| | | 3.18.11 (ii) | 2,025.00 |
| | | 3.18.11 (iii) | 2,690.00 |
| | 2018-19 | 3.14.3.3 | 3,189.00 |
| | | 3.14.3.4 | 713.00 |
| | | 3.14.3.7 | 15,21,661.00 |
| | | 3.14.3.8 | 1,314.00 |
| | | 3.14.3.11 | 96.00 |
| | | 3.14.4.3 | 1,122.00 |
| | | 3.14.4.5 | 72.00 |
| | | 3.15 | 561.00 |
| शहरी स्थानीय निकाय | 2012-13 | 2.2.8.1 | 17,040.00 |
| | | 2.2.8.6 | 10,182.00 |
| | | 3.20 | 554.00 |
| आवास | 2018-19 | 3.9 | 41.00 |
| **कुल** | | | **28,18,663.64** |

## 1.7.3 लोक उपक्रम समिति तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी। वर्ष 1979-80 से 2021-22 तक की अवधि हेतु लोक लेखा समिति की

16वीं से 82वीं रिपोर्ट में निहित 673 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2021-22 के लिए लोक उपक्रम समिति की 16वीं से 68वीं रिपोर्ट में निहित 232 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 6*** में विवरण दिए गए हैं। तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लंबित सिफारिशों का विवरण ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

**तालिका 1.7: 31 मार्च 2022 तक तीन क्लस्टरों से संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों का विवरण**

| लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों की संख्या | लोक उपक्रम समिति की रिपोर्ट | लोक लेखा समिति की सिफारिशों की संख्या | लोक लेखा समिति की रिपोर्ट |
|---|---|---|---|
| **ऊर्जा और विद्युत** | | | |
| 47 | 35वीं, 52वीं, 53वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं | 2 | 35वीं, 74वीं |
| **उद्योग और वाणिज्य** | | | |
| 51 | 41वीं, 45वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं, 52वीं, 56वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 62वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं | 15 | 9वीं, 16वीं, 22वीं, 32वीं, 36वीं, 50वीं, 68वीं, 70वीं, 73वीं, 79वीं, 81वीं |
| **शहरी विकास** | | | |
| 15 | 47वीं, 67वीं | 119 | 25वीं, 32वीं, 36वीं, 40वीं, 44वीं, 48वीं, 50वीं, 52वीं, 54वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं |
| **113** | | **136** | |